

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 71/2017

- 1 मु. बानो पुत्री भंवरखां।
- 2 हसमत पुत्री भंवरखां।
- 3 कलसुम पुत्री भंवरखां।
- 4 बसु पुत्री भंवरखां।
- 5 याकुब पुत्र मिसरूखां।
- 6 खौरुनिशा स्त्री मिसरूखां।
- 7 बाबुखां पुत्र गफुरखां।
- 8 राबिया पुत्री गफुरखां।




9 बिस्मिला पुत्री गफुरखां समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासीगण मोहल्ला बटवालान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू समस्त जरिये मुख्तयार मोहम्मद हनीफ आयु 40 वर्ष पुत्र श्री अलादीनखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 15 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।


अपीलांट

बनाम

- 1 कासम पुत्र गफुरखां।
- 2 हाकम पुत्र गफुरखां।
- 3 बिस्मिला पुत्री भंवरखां।
- 4 जमीला पुत्री भंवरखां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मोहल्ला बटवालान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
- 5 रईसा पुत्री मिसरूखां।
- 6 जेबुनिशा पुत्री मिसरूखां।
- 7 फरजाना पुत्री मिसरूखां।


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

- 8 रूबिना पुत्री मिसरूखां।
- 9 सोनम पुत्री मिसरूखां।
- 10 गुलाम हुसैन पुत्र सन्नुखां।
- 11 अब्दुल सतार पुत्र सन्नुखां।
- 12 उस्मान अली पुत्र सन्नुखां।
- 13 रफीक पुत्र सन्नुखां।
- 14 आशिक पुत्र सन्नुखां।
- 15 अनवरखां पुत्र ईमामुदीन खां।
- 16 शेरूदीन पुत्र ईमामुदीन खां।
- 17 उम्मेद पुत्र ईमामुदीन खां।
- 18 सलाउदीन पुत्र रसुलखां।
- 19 अलादीन पुत्र रसुलखां।
- 20 जाफर हुसैन पुत्र रसुलखां।
- 21 मु. बेगम स्त्री रमजानी उर्फ रमजानखां
- 22 शब्बीर पुत्र रमजानी उर्फ रमजानखां।
- 23 ईकबाल पुत्र रमजानी उर्फ रमजानखां।
- 24 रफीक पुत्र रमजानी उर्फ रमजानखां।
- 25 पेपली पुत्री रमजानी उर्फ रमजानखां।
- 26 कलसुम पुत्री रमजान उर्फ रमजानखां।
- 27 रोशन पुत्री रमजानी उर्फ रमजानखां।
- 28 मु. बसौ पुत्री रमजानी उर्फ रमजानखां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मोहल्ला बटवालान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
- 29 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
- 30 नगर परिषद झुंझुनू जरिये आयुक्त।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री
दिनांक 24.11.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू मुकदमा उनवानी अनवर हुसैन बनाम मु. बैगम बानो
मुकदमा नम्बर 69/2014 दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती
रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री तैयब हुसैन, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

—निर्णय—

दिनांक:— 13.01.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोंडेंट ईकबाल की और से कोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा संख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है चूकि विचाराधीन निर्णय पर पूर्व में

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अतः अब उसी निर्णय पर पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोंडेंट ईकबाल की ओर से क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा संख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है चूंकि विचाराधीन निर्णय पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अतः अब उसी निर्णय पर पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। अपील सारहीन है खारिज की जावे। यदि अपीलांत प्रस्तुत प्रकरण में चाराजोही करना चाहे तो विचारण न्यायालय में करने के लिये स्वतंत्र है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा संख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अतः अपील इसी स्तर पर पुनः स्वीकार कर पूर्व अनुसार रिमाण्ड का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

496
 प्रमुख अधिकारी
 पदेन सचिव अपील अधिकारी
 चाकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोंडेंट ईकबाल की ओर से कोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा संख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है चूंकि विचाराधीन निर्णय पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अतः अब उसी निर्णय पर पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है अपीलांट चाहे तो विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित करने का आवेदन प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी,
सीकर